्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

)न0 – 26 / 2023

ावान : –

ीरबलराम पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रार्थी

बनाम

विजय कुमार पुत्र सुखराम जाति नांई निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ व

रामकुमार पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रार्थी
अब्दुल सतार जोईया अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 5/2/25

र्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चकनं0 1 एसबीएन के खातासं0 132/136 में ुल 4.364 है0 में से प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 प्रत्येक का 569/6546 हिस्सा व प्रतिवादीसं0 4,5 प्रत्येक का 127/4364 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 6 का 185/4364 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 का 1015/4364 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 8, 9, 12 प्रत्येक का 63/2182 हिस्सा व प्रतिवादी 0 10 का 169/1091 हिस्सा व प्रतिवादीसं0 11 का 169/2182 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 13 ा 253/4364 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थनापत्र है। ार्थनापत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में प्रार्थी का 569/6546 हिस्सा आराजी संयुक्त खाता में ाप्रार्थीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 13 के साथ दर्ज है। प्रार्थी अपने हक व ेस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी के हक व ेस्सा की आराजी अप्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 13 के साथ संयुक्त दर्ज रहने से प्रार्थी अप्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 13 के मध्य आपस मे रकम राज जमा करवाने तथा ाश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी अपनी आराजी का खाता ाप्रार्थीगणसं० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगणसं0 3 ता 13 के साथ संयुक्त नही रखना चाहता है व ार्थनापत्र की दफा 2 मे दर्ज संयुक्त खाता की आराजी मे से अपने 569/6546 हिस्सा की ाराजी का खाता अच्छी मन्दी के अनुसार तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम रवाना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 जो कि प्रार्थी के सगे भाई है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 13 के नाम से संयुक्त खाता मे

Scanned with CamScanner

है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 13 की आराजी संयुक्त खाता दर्ज चली आ रही है लेकिन अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 जो कि बिना खाता विभाजन करवाये युक्त खाता की आराजी में से अपने हिस्सा की आराजी मे से अच्छी अच्छी भूमि को रहन, बैय रने पर आमादा है तथा बार बार प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दे रहे है कि हम आज कल में अपने हिस्सा की आराजी को बैचान कर देवेगें व उक्त भूमि का कब्जा दिगर व्यक्तियों को ौंप देवेगें तथा भूमि बैचान करने की बात भी हमने गाँव के किसी व्यक्ति से कर ली है, अगर अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 अपने इस गलत व विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है । देद में हल्फनामा प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र स्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 इस आशय की जारी की जावे कि चकनं0 1 एसबीएन के खातासं0 132 / 136 में कुल 4.364 है0 में से अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक अपने 569 6546 हिस्सा की आराजी को रहन बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादभूमि चकनं0 चक 1 एसबीएन के खाता सं0 132/136 में कुल 4.364 हैक्टेयर आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में अपने 569/6546 हैक्टेयर आराजी को रहन बैय व अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने से निषेद्ध रहे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होने के पश्चात अप्रार्थीगण की और से अधिवकता श्री अब्दुल सतार जोईया ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि दरख्वास्त की दफा 1 में दर्ज तथ्य कि अनवान सदर का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने का कथन स्वीकार है, शेष कथन कतई गलत, असत्य व मनघडत दर्ज किये गये है, स्वीकार नही । वादी द्वारा पेश वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही काबिज खारीजी के है । दरख्वास्त की दफा 2 में वणित आराजी मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है । दरख्वास्त की दफा 3 में वर्णित कथन कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रार्थी का 569 / 6546 हिस्सा संयुक्त खाता मे अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 13 के साथ दर्ज होने तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, का कथन स्वीकार है, बाकी कथन कतई गलत, असत्य व मनघडत दर्ज किये है, स्वीकार नही । प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा प्रतिवादी सं0 3 ता 13 अरसा दराज से अपने अपने हक व हिस्सानुसार काबिज रहकर अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण ने अपने हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की आराजी में काफी सुधार किया है, इसलिए प्रार्थी अच्छी मन्दी के लिहाज से बटवारा करवाने का कतई अधिकारी नही है जबकि प्रार्थी हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता विभाजित करवाकर, अलग से कायम करवाने का अधिकारी है। दरख्वास्त की

Scanned with CamScanner

ा 4 मे दर्ज कथन कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 जो कि प्रार्थी के सगे भाई है तथा प्रार्थना पत्र की
ा 2 मे दर्ज आराजी अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 13 के नाम से संयुक्त
ाता मे दर्ज है, का कथन स्वीकार है । बाकी कथन कतई गलत, असत्य व मनगढ़त दर्ज
िये गये है, स्वीकार नही। दफा हाजा मे दर्ज कथन कि अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 जो कि बिना
ाता विभाजन करवाये, संयुक्त खात की आराजी मे से अपने हिस्सा की आराजी मे से अच्छी
च्छी भूमि को रहन, बेय करने पर आमादा है तथा बार बार प्रार्थी को धमकियां देकर है कि
ि आज कल मे ही अपने हिस्सा की आराजी को बेयान कर देवेगे, के सम्बन्ध मे निवेदन है
ि अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है
था अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की सीमा तक विवादित भूमि के स्वामी है । संयुक्त सम्पत्ति के
भी सह–अंशधारी कब्जे में होना माने जाते है व अप्रार्थीगण सह– स्वामी है तथा बिना विभाजन
े अपने हिस्से की सम्पति को विक्रय करने के हकदार है। विधि के मुताबिक सह– खातेदारी
ी प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए किसी सहखातेदार
को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता, अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का
सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अदालत हाजा द्वारा जारी एक
पक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है तो अप्रार्थीगण अपने विधि व
खातेदारी अधिकारों से महरूम रह जावेगे तथा हम अप्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी, ताईद
में हल्फनामा पेश है । अतः दरख्वास्त 212 जबाब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ
पत्र पेश कर निवेदन है कि अदालत हाजा द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 22.03
.2023 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आर. टी. ए. खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त
इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा साक्ष्य सबूतो के आधार पर मूल दावे
के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित
नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के
दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा
अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलंग्न राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अवलोकन से
जाहिर होता है कि उक्त वादभूमि चक 1 एसबीएन के खाता स0 132/136 मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण
सहखातेदार की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार
वाद भूमि में प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार खाता तकसीम की मांग कर रहा है जो की वाद मे
साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होगा की प्रार्थी वाद भूमि मे किसी अपने हक व हिस्से का
अच्छी एंव मंदी अनुसार खाता तकसीम करवाने का अधिकारी है या नही। उपरोक्त विवेचनस्वरूप
प्रार्थी केवल अपने हिस्से तक की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।
प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त अप्रार्थी के पक्ष मे

Scanned with CamScanner

रहा है। जब तक प्रार्थी की आराजी का अच्छी मंदी अनुसार निर्धारण नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को उक्त वाद भूमि मे अपने हिस्सा की हद तक रहन बैय करने से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है क्यों कि सयुंक्त खाता की भूमि मे अप्रार्थी केवल अपने हक व हिस्से का बेचान करेगा न कि विशेष किलो का विधि के मुताबिक सह– खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए किसी सहखातेदार को अपने हक व हिस्से तक की भूमि को रहन बैय हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित नही है। अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बनाता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर दिनांक 22.03.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 5/2/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी